



मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि.

प्रधानमंत्री कुसुम 'अ' योजना में पंजीयन हेतु  
नवीन सरलीकृत  
वॉक-इन (Walk-In) प्रक्रिया

पी.एम. कुसुम योजना घटक 'अ' के अंतर्गत मध्यप्रदेश के वितरण कम्पनियों के चिन्हित 33/11 केवी सब स्टेशनों से जुड़ने वाले 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु सौर ऊर्जा उत्पादको का चयन।

**No: MPUVN/KUSUM-A/2022-23/2121**

**Date: 18.07.2022**

द्वारा जारी :-

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि. (MPUVNL)  
ऊर्जा भवन, लिंक रोड नं. 2, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016  
दूरभाष नं.: +91-755-2553595, 2556566  
ईमेल – pmkusuma.mpuvn1982@gmail.com

## प्रधानमंत्री कुसुम 'अ' योजना में पंजीयन हेतु नवीन सरलीकृत वॉक-इन (Walk-In) प्रक्रिया

### योजना –

प्रधानमंत्री कुसुम 'अ' योजना के अंतर्गत, कृषकों द्वारा उनकी अनुपयोगी/बंजर/कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा सकेगी। परियोजना से उत्पादित विद्युत, शासन द्वारा क्रय की जाएगी जिससे कृषकों को नियमित आय होगी। DISCOM द्वारा प्रदेश के चिन्हित 900 से अधिक सबस्टेशनों पर उक्त संयंत्र अधिमानतः (preferably) सबस्टेशन के 5 किमी की परिधि में स्थापित किये जा सकेंगे।

योजना के तहत कृषक अपनी कृषि संबंधित भूमि में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कर उत्पादित ऊर्जा शासन को विक्रित कर सकेंगे। योजना में यह भी प्रावधानित है कि यदि कृषक सौर ऊर्जा संयंत्र के लिये आवश्यक वित्तीय व्यवस्था कर पाने में असमर्थ हैं तो आपसी समन्वय व सहमति से अपनी भूमि द्विपक्षीय अनुबंध (किसान और विकासक/निवेशक के मध्य) द्वारा लीज रेंट पर देकर, जो रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष के अनुसार निर्धारित होगी अथवा रुपये प्रति यूनिट उत्पादित विद्युत प्रति एकड़ के अनुसार तय कर, निवेशक के माध्यम से संयंत्र की स्थापना कर सकेंगे, जिसकी संस्थापना, संचालन एवं रख-रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी विकासक/निवेशक की होगी। इस वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा यह योजना कृषक की नियमित आय का साधन बनने में सहायक हो सकेगी।

म. प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु संयंत्रों की स्थापना हेतु आवेदक, जिन्हें चयन के बाद Solar Power Generator (SPG) कहा जायेगा, का चयन ऑनलाईन वॉक-इन (Walk-In) पंजीयन प्रक्रिया के माध्यम से नियमानुसार पहले-आओ, पहले-पाओ (first-come, first-served) के आधार पर किया जायेगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इस प्रक्रिया का समय-समय पर मूल्यांकन एवं संशोधन किया जा सकेगा।

### 1. आवेदक :-

योजना के अंतर्गत आवेदक कृषक/कृषकों के समूह/कृषक उत्पादक संगठन/जल उपभोक्ता संघ/पंचायत/कृषि संबंधी संस्थान इत्यादि या कोई विकासक/निवेशक (लीज की भूमि पर संयंत्र स्थापना के लिये) हो सकता है।

### 2. सौर संयंत्रों की अनुमत (मान्य) क्षमता की सीमा :-

योजना के अंतर्गत एक सबस्टेशन पर एक आवेदक द्वारा 500 KW से 2 MW क्षमता तक के एक संयंत्र स्थापना हेतु आवेदन किया जा सकेगा तथापि एक आवेदक एक से अधिक सबस्टेशन पर भी संयंत्र स्थापना हेतु आवेदन कर सकेगा।

### 3. चिन्हित सबस्टेशन :-

योजना के अंतर्गत DISCOMs (विद्युत कंपनियों) द्वारा चिन्हित सबस्टेशनों की उपलब्ध क्षमता सहित सूची निगम की वेबसाइट <http://www.mprenewable.nic.in/> पर उपलब्ध है। यदि आवेदक उक्त सूची में नये सबस्टेशन जुड़वाना चाहते हैं तो उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध "Format for request to add new substation" में जानकारी भरकर ईमेल आईडी-[pmkusumaregistration.mpvvn@gmail.com](mailto:pmkusumaregistration.mpvvn@gmail.com) पर आवेदन कर सकते हैं, जो संबंधित DISCOM से सकारात्मक Feasibility report प्राप्त होने पर जोड़ा जा सकेगा।

### 4. विद्युत क्रय अनुबंध (PPA) :-

योजनांतर्गत चयनित सोलर पॉवर जेनेरेटर्स (SPG) द्वारा उत्पादित विद्युत को 25 वर्षों तक "विद्युत क्रय अनुबंध" (PPA) के तहत शासन (MPPMCL) द्वारा क्रय किया जायेगा। PPA प्रपत्र संलग्न है।

## 5. विद्युत क्रय टैरिफ :-

कुसुम योजना के घटक 'अ' के तहत नवीन प्रक्रियानुसार स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत को 25 वर्षीय कालावधि के लिये म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित एवं विनियमित स्तरीकृत टैरिफ (prefixed levelized tariff) की दर से शासन (MPPMCL) द्वारा क्रय किया जायेगा। वर्तमान में म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस टैरिफ की उच्चतम दर रुपये 3.07/- प्रति यूनिट निर्धारित की गयी है।

## 6. पात्रता / अर्हता :-

अ) स्वविकास मॉडल – कृषक/कृषकों के समूह/कृषक उत्पादक संगठन/जल उपभोक्ता संघ/पंचायत/कृषि संबंधी संस्थान इत्यादि जिनके स्वयं के नाम पर कृषि भूमि हो।

ब). विकासक/ निवेशक मॉडल –रु. 1 करोड़ प्रति मेगावॉट की दर से (आवेदित क्षमता के अनुसार) नेटवर्थ।

## 7. सरलीकृत ऑनलाईन वॉक-इन (Walk-In) पंजीयन प्रक्रिया

योजना में पंजीयन वॉक-इन (Walk-In) प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

i. विद्युत कंपनियों द्वारा चिन्हित सबस्टेशनों के आस-पास सौर संयंत्र लगाने के इच्छुक कृषक/कृषकों के समूह/कृषक उत्पादक संगठन/जल उपभोक्ता संघ/पंचायत/ विकासक/निवेशक इत्यादि म.प्र. ऊर्जा विकास निगम की वेबसाईट <http://www.mprenewable.nic.in/> पर उपलब्ध Google Form के लिंक के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करेंगे। आवेदक को आवेदन करते समय निम्नलिखित जानकारी आवेदन के साथ अपलोड करनी होगी :-

अ. भू-अधिकार पुस्तिका व खसरा

ब. भूमि की रजिस्ट्री

स. आधार कार्ड

द. पैन कार्ड

इ. आवेदन शुल्क ऑनलाईन जमा करने का प्रमाण

ई. नेटवर्थ (यदि लागू हो तो) के समर्थन में chartered accountant द्वारा प्रमाणित दस्तावेज।

**नोट :-** यदि आवेदक विकासक/ निवेशक है तो उसकी नेटवर्थ (रु. 1 करोड़ प्रति मेगावॉट) की जानकारी सत्यापन हेतु प्राप्त की जायेगी।

ii. आवेदन हेतु शुल्क रुपये 5000 + 18 % GST = 5900/- प्रति मेगावॉट की दर से आवेदक को निगम के खाते में ऑनलाईन (NEFT/RTGS) जमा करना होगा, निगम के बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार है :-

a) Account Holder Name	:-	M. P. Urja Vikas Nigam Ltd.
b) Bank Name	:-	ICICI Bank Ltd.
c) Bank Branch Address	:-	Shivaji Nagar, Bhopal
d) Account No.	:-	656501700049
e) IFSC Code	:-	ICIC0006565
f) MICR Code	:-	462229012

iii. माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को गत दिवस रविवार रात 12:00 तक प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों का परीक्षण किया जाकर उपयुक्त पाये जाने पर 07 दिवस की अवधि में आवेदक को सूचित किया जावेगा। आवेदक के लिये आवश्यक होगा की वह सूचना जारी दिनांक की 15 दिवस की अवधि में दस्तावेजों की मूल प्रति भौतिक सत्यापन हेतु निगम के प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत करे। यदि आवेदक के आवेदन में कोई कमी पायी जाती है तो आवेदन को आगामी सोमवार तक उस कमी को पूर्ण करने का अवसर उपलब्ध रहेगा।

iv. इस प्रक्रिया में "प्रथम आओ-प्रथम पाओ" का सिद्धांत लागू होगा।

- v. कोई भी पात्र आवेदक एक या एक से अधिक सबस्टेशन पर आवेदन कर सकते हैं। एक सबस्टेशन पर एक आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे सभी आवेदनों का नियमानुसार जांच एवं मूल्यांकन के उपरांत अर्हता पूरा करने वाले आवेदकों को योजना में शामिल किया जायेगा।
- vi. यदि किसी सबस्टेशन पर उपलब्ध क्षमता से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो, उस सबस्टेशन पर आवेदक/आवेदकों का चयन, आवेदकों से बंद लिफाफे में प्राप्त न्यूनतम दर (जो कि सीलिंग टैरिफ से कम होगी) के आधार पर किया जायेगा। यदि आवेदकों द्वारा समान दर quote की जाती हैं तो—
- अ. आवेदकों से CA द्वारा प्रमाणित उनकी नेटवर्थ की जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं जिसकी नेटवर्थ अधिक होगी, उसके द्वारा आवेदित क्षमता उसे आवंटित की जायेगी। सबस्टेशन पर शेष क्षमता दूसरे /अन्य आवेदक के मध्य आवेदित क्षमताओं के अनुसार एवं सबस्टेशन की उपलब्ध क्षमता की सीमा में आवंटित की जायेगी।
- ब. वैकल्पिक रूप से, आवेदकों की आपसी सहमति से उनके मध्य क्षमता का आवंटन भी किया जा सकेगा।
- vii. दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन उपरांत उपयुक्त पाये जाने की सूचना निगम से प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर आवेदक को उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 7 (ii) पर उल्लेखित निगम के खाते में 1,00,000/- प्रति मेगावॉट की दर से (आवेदित क्षमता के अनुसार) Bid Security /EMD जमा करानी होगी। तदुपरांत निगम द्वारा 07 दिवस की अवधि में लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) जारी किया जायेगा।
- viii. लेटर ऑफ अवार्ड जारी होने के अधिकतम 30 दिवस में आवेदक को MPPMCL को देय रुपये 1,00,000/- प्रति मेगावॉट की दर से Performance Bank Guarantee (PBG) एवं रुपये 1,00,000/- प्रति मेगावॉट की दर से म.प्र. सोलर पॉलिसी 2012 के तहत नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग में रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं आवश्यक संपूर्ण भूमि की जानकारी निगम को प्रस्तुत करना होगा।

उक्त विवरण के अनुसार निगम, आवेदक एवं MPPMCL के स्तर पर की विभिन्न कार्यवाहियां एवं निर्धारित समय-सीमा का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शित है :-

क्रं.	कार्यवाही	समय-सीमा	जिम्मेदारी
1	निगम द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण	07 दिवस	म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि.
2	आवेदन को उपयुक्त पाये जाने पर आवेदक को सूचना	07 दिवस	म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि.
3	आवेदक द्वारा वांछित दस्तावेज एवं EMD, निगम कार्यालय में जमा करना	15 दिवस	आवेदक
4	भौतिक सत्यापन उपरांत आवेदक LOA जारी करना	07 दिवस	म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि.
5	LOA जारी होने के बाद PPA हेतु PBG, NRED Fee और अन्य दस्तावेज जमा करना	30 दिवस	आवेदक
6	LOA जारी होने के बाद PPA निष्पादन की कार्यवाही	60 दिवस	म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लि.

- अ. आवेदक द्वारा MPPMCL को देय PBG प्रस्तुत किए जाने पर उसके द्वारा पूर्व में जमा कराई गई Bid Security/EMD वापस की जाएगी।
- ब. उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा सभी वांछित दस्तावेज म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में जमा किये जाने पर Power Purchase Agreement (PPA) निष्पादन हेतु म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी को प्रस्तुत किया जायेगा।
- स. परियोजना की स्थापना/ क्रियान्वयन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) भारत सरकार के दिशा-निर्देश F.No.32/645/2017-SPV Division दिनांक 22.07.2019, तत्संबंधी समय-समय पर अधिसूचित संबंधित संशोधनों एवं राज्य शासन के लागू प्रावधानों के अनुसार होगा। आवेदक/सोलर पावर जनरेटर (एस.पी.जी.) का दायित्व होगा कि वह राज्य शासन एवं स्थानीय निकायों से तत्संबंधी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करे। परियोजना का क्रियान्वयन पी.पी.ए. के निष्पादन के 9 माह की सीमा के भीतर किया जाना होगा।
- द. परियोजना संचालन/ रख-रखाव आवेदक एवं म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लि. के मध्य निष्पादित 'विद्युत क्रय अनुबंध' (PPA) के अधीन होगा।
- इ. आवेदन उपरांत चयन हेतु एवं PPA निष्पादन हेतु आवश्यक दस्तावेज जमा कराने की निर्धारित समय-सीमा को बढ़ाने या अन्य आवश्यक गतिविधियों से संबंधित समय-सीमा में परिवर्तनों का सम्पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. का होगा।
-